न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर

मुकदमा नंबर 30/2021
आनलाईन नंबर 2021/90

निर्णय दिनांकः 23.8.2021

मांगी पुत्री पुरखाराम जाति जाट निवासी लिखमीसर उतरादा तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

—वादी—

—बनाम—

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय श्रीडूंगरगढ़।

—प्रतिवादी—

उपस्थितिः—
1. श्री राजाराम नैण अभिभाषक वादी
2. पैरोकारराज स्टैट तरफ से

वाद अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए. एव धारा 136 एल. आर. एक्ट

यह वाद मांगी ने जरिये अधिवक्ता के मार्फता पेश कर निवेदन किया है कि वादी का खातेदारी खेत खसरा नम्बर 332 तादादी 5.6900 हैक्टयर रोही ग्राम लिखमीसर उतरादा तहसील श्रीडूंगरगढ़ में अवस्थित है। वादी ने वादगत कृर्षि भूमि खेत खसरा नम्बर 332 तादादी 5.6900 हैक्टेयर कृर्षि भूमि विरारत्तन प्राप्त हुई थी जिसमें अपने पिता की मृत्यु होने के बाद वादी की बहनो ने अपना हक वादी के पक्ष में अपना हक 6/12 हिस्सा त्याग कर दिया था जो दिनांक 31.12.2010 को पंजीयन उपपजीयक कार्यालय श्रीडूंगरगढ़ में दिनांक 31.12.2010 को करवाया गया। वादगत कृषि भूमि के खसरा नम्बर 332 तादादी 5.6900 हैक्टेयर रोही लिखमीसर उतरादा में परित्याग का पजीयन कराते समय वादीनी का नाम भवरी पुत्री पुरखाराम अंकित कर दिया गया था। वादी को मांगी व भवरी दोनो नाम से जाना पहचाना जाता है परित्याग कराते समय प्रलेख लेखक को परिवार से आये हुये लोगो घर में बोलता नाम प्रयूक्त होनो वाला नाम बता दिया गया प्रलेखक ने उसी प्रकार दर्ज कर तथा परित्याग पत्र का पंजीयन करा दिया बाद पजीय़न राजस्व रिकार्ड में परित्याग के अनुसार नामान्तरण दर्ज कर दिया गया। वादी के उक्त दोनो ही नाम हहै वादी का दस्तावेजी नाम मांगी पुत्री पुरखाराम है वादी के आम बोलचाल के नाम से राजस्व रिकार्ड में अमल—दरामद होने से वादी को काफी समस्याओ का सामना करना पड़ रहा है। वादी राजस्व रिकार्ड में अपना दस्तावेजी नाम मांगी अंकन करवाने के लिए प्रतिवादी सख्या एक से दिनांक 07.01.2021 को निवेदन किया तो प्रतिवादी संख्या एक ने अपने क्षेत्राधिकार से बहार बताते हुऐ जमाबन्दी में वादी का दस्तावेजी नाम अंकन करने से साफ इन्कार कर दिया यही वाद हेतुक है, वादी तदनुसार सशोधन कराने की अधिकारीनी है। वादगत भूमि का प्रतिवादी संख्या 1 भूमिधारी होने के कारण पक्षकार समायोजित किया गया है स्टेट से किसी प्रकार का अनुतोष नही चाहा गया है फिर भी कानूनी आपतियो को मध्यनजर रखते हुए 80(2) सी.पी.सी. का छूट का प्रार्थना पत्र वादपत्र के साथ प्रस्तूत किया जा रहा है। वादगत कृर्षि भूमि के खसरा नम्बर 332 तादादी 5.6900 हैक्टेयर रोही ग्राम लिखमीसर उतरादा मे होने से वाद माननीय न्यायालय के श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार का है। वादपत्र पूर्ण कोर्ट फीस पर व समय सीमा के भीतर—भीतर प्रस्तूत किया जा रहा है।

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

अत दावा प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि वादी का दावा निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावे।

(क) कि इस आशय की डिक्री फरमाई जावे कि वादगत खेत खसरा नम्बर 332 तादादी 5.6900 हैक्टेयर रोही ग्राम लिखमीसर उतरादा में वादी का नाम मांगी पुत्री पुरखाराम की घोषणा की जाकर राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावें।

(ख) अन्य अनुतोष जो हितकर वादी हो या दौराने दावा उत्पन्न हो वादी के पक्ष में फरमाया जावे।

वादी के उक्त वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी की ओर से पैरोकारराज ने उपस्थित होकर जवाव पेश किया कि वादीनी को भंवरी व मांगी दोनो नाम से पुकारा जाता है व दोनो नाम एक ही औरत के नाम है जबकि वास्तविक नाम मांगी पुत्री पुरखाराम ही बताया है, खसरा नम्बर 332 तादादी 5.6900 हैक्टेयर रोही ग्राम लिखमीसर उतरादा में वादीनी का नाम भंवरी पुत्री पुरखाराम दर्ज है। जो कि ग्राममुख्या ने बताया कि भंवरी व मांगीदेवी का बचपन का नाम दर्ज भंवरी की जगह मांगी पुत्री पुरखाराम दर्ज किया जाता है तो स्टेट को किसी प्रकार की कोई आपति नही है। वहस सुनी गई। वाद का अवलोकन किया गया। स्टेट को वादी का वाद स्वीकार करने में कोई आपति नही होने के कारण वादी का वाद स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

निर्णय

खेत खसरा नंबर 332 तादादी 5.6900 हैक्टेयर रोही ग्राम लिखमीसर उतरादा मे भंवरी पुत्री पुरखाराम के बजाय मांगीदेवी पुत्री पुरखाराम नाम शुद्ध करने के आदेश तहसीलदार श्रीडूंगरगढ को दिये जाते है। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ उपरोक्तनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करे। डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 23.8.21 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में कम होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी

(दिव्या)

उपखण्ड अधिकारी

श्रीडूंगरगढ